

25.08.2020

फ्तारली पेश ।-चुंकि खल दावा जालिसे  
अदम हाजिरी-अदम पैरवी जे खारिज  
किया जा चुका है अतः जापना-पत्र को  
पलाये जाने का कोर्स ओपिय नही है  
इसलिए जापना-पत्र को भी इसी तरह  
पर खारिज किया जाता है पतावली  
केसल शुभार लेकर नंबर-से कर  
की जाकर दाखिल दफतर है।

सहायक कलेक्टर एवं नायपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) साधार (जाबोर)

